



M-X-9435
26-38

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० के समक्ष ।

A- 1428 P 38/13 प्रकरण क्रमांक

अजीजुद्दीन पिता स्व. समसुबदीन

निवासी 13/29 मिशन कम्पाउण्ड एम.पी.ई.बी.

आफिस के पीछे मेफियर टाउन जबलपुर म०प्र० --- प्रार्थी/अपीलांट

विरुद्ध

1. धाना प्रभारी धाना मनावर

जिलाधार म०प्र०

2. बाबूलाल पिता मन्नाजी

निवासी हरिजन मोहल्ला सिधाना धाना मनावर

जिलाधार म०प्र०

-- प्रतिप्रार्थी/रिस्पाडेंट

अपील निम्नलिखित अधिनियम की धारा 9 ट्रिजरी -ट्रौव एक्ट 1878 एवं
व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 व धारा 15।सी.पी.
सी. के अन्तर्गत ।

प्रकरण क्रमांक 01/विविध/12-13 में श्रीमान् अवर आयुक्त
महोदय इंदौर द्वारा दिनांक 5.12.12 द्वारा पारित एक तरफा
आदेश से असंतुष्ट होकर निम्न के अतिरिक्त अन्य आधारों पर
अपीलांट यह अपील सादर प्रस्तुत करता है :---

P 1428 P 38/13

1137

जिस पीसद द्वारा आज
के प्राप्त
26-3-13
जिस पीसद द्वारा आज
के प्राप्त

66

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1428-PBR/13 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--

22.2.17
2 दफ

आवेदक के द्वारा जारी
आदेश क्रमांक
CR 18-4.17
2 दफ

Nr
222

18.4.2017

आवेदक द्वारा यह निवेदनी
26.3.2013 को प्रस्तुत की गई
है। तब से प्रकृत आदेश का
नियत हो रहा है, और लगभग
4 वर्ष का समय व्यतीत हो
जाए के पश्चात् आवेदक की
ओर से कोई उपस्थित नहीं
हो रहा है। अतः प्रकृत
के निराकरण में कार्य नहीं
करने से प्रकृत समाप्त
किया जाता है।

अनुवृत्ति 2
222

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]